अपील में डिक्री

(आदेश 41 रूल 35, जाप्ता दीवानी)

राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

बइजलास भागवंती जेठवानी, आर.ए.एस.

अपील संख्या : 18/46

भंवर सिंह आत्मज नाथूसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम पदमपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।

—अपीलार्थी

बनाम

1. कौशल्या देवी पुत्री बाबूराम वल्द दयाराम जाति ब्राह्मण निवासी दरा स्टेशन तहसील सांगोद जिला कोटा ।
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार लाडपुरा जिला कोटा ।

——प्रत्यर्थी

बनाराजगी आदेश निर्णय एवं डिक्री दिनांक 29.12.2017 अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (मुख्यालय) कोटा जिला कोटा ।

वाद संख्याः 517/दावा/2009

भंवर सिंह आत्मज नाथूसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम पदमपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।

——वादी

बनाम

1. कौशल्या देवी पुत्री बाबूराम वल्द दयाराम जाति ब्राह्मण निवासी दरा स्टेशन तहसील सांगोद जिला कोटा ।
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार लाडपुरा जिला कोटा ।

——प्रतिवादी

अपील का ज्ञापन

1. **उक्त अपीलार्थी उपर्युक्त वाद न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (मुख्यालय) कोटा जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 29.12.2017 की अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा में निम्नलिखित कारणों से करता है, अर्थात...** कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जावे ।

2. यह अपील तारीख 08.10.2018 को बहाजरी अपीलान्ट की ओर से अभिभाषक श्री उत्तम चन्द खण्डेलवाल एवं रेस्पोडेन्ट की ओर से अभिभाषक श्री जगदीश नन्दवाना के उपस्थित आने पर यह आदेश दिया कि आधार पर पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 29.12.2017 बहाल रखा जाता है ।

3. इस अपील के खर्चे एवं मूल वाद के खर्चे पक्षकारान द्वारा स्वयं वहन किये जाने है ।

यह डिक्री आज तारीख 08.10.2018 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगा कर दी गई।

मुहर

8/10/18

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 18/46

भंवर सिंह आत्मज नाथूसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम पदमपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।

---अपीलान्ट

बनाम

1. कौशल्या देवी पुत्री बाबूराम वल्द दयाराम जाति ब्राह्मण निवासी दरा स्टेशन तहसील सांगोद जिला कोटा ।
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार लाडपुरा जिला कोटा ।

---रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री उत्तम चन्द खण्डेलवाल, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री जगदीश नन्दवाना, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट की ओर से ।

निर्णय दिनांकः 08.10.2018

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (मुख्यालय) कोटा जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 29.12.2017 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादी अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 188 एवं 183 के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम पदमपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा में आराजी खसरा नम्बर 48/223 रकबा 05 बीघा भूमि स्थित है । उक्त भूमि वादी के खातेदारी में दर्ज है । इस आराजी के पूरव में प्रतिवादी का खेत खसरा नम्बर 40 स्थित है । सेटलमेंट के बाद खसरा नम्बर 48/223 वादी की अन्य आराजी में मिलाकर खसरा नम्बर 82 बनाया । प्रतिवादी के खेत का नया नम्बर 77 बना । वादी के खेत से प्रतिवादी का खेत अडवां होने से प्रतिवादी ने वादी के जो प्रतिवादी की मेड के नजदीक यानी मेड के किनारे पर उसके खेत में कुआ लगवाया और मिट्टी व पत्थर प्रतिवादी ने वादी के खेत में रकबे 10 बिस्वा में डलवा दिया और वादी ने प्रतिवादी से कहा तो उसने मलवा हटाने का आश्वसन दिया था । बाद सेटलमेंट प्रतिवादी ने दौराने सेटलमेंट मलवे वाली वादी की 10 बिस्वा आराजी को प्रतिवादी ने मिली भगत से अपने नाम सेटलमेंट में दर्ज करवा लिया ।

3. अतः प्रतिवादी को वादी की 10 बिस्वा भूमि हाल खसरा नम्बर 82 की जो कुए की मिट्टी पत्थर से कब्जे में कर रखी है से बेदखल किया जाकर वादी को कब्जा दिया जावे ।

4. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 29.12.2017 के द्वारा वादी का वाद खारिज कर दिया ।

5. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 29.12.2017 से व्यथित होकर वादी अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि तहसीलदार लाडपुरा द्वारा वादग्रस्त आराजी की वस्तुस्थिति की रिपोर्ट अधीनस्थ न्यायालय में भिजवायी गई थी उक्त रिपोर्ट से यह तथ्य भली–भांति प्रमाणित था कि वादग्रस्त आराजी अपीलान्ट के खातेदारी की भूमि है जिस पर रेस्पोडेन्ट ने मलवा डालकर कब्जा कर लिया है जिस पर रेस्पोडेन्ट क्रम 1 को बेदखल किया जाना अत्यन्त आवश्यक है । अधीनस्थ न्यायालय ने बिना किसी आधार के वर्तमान खसरा नम्बर 82 का रकबा 0.41 हैक्टर गत रकबे के मुकाबले ज्यादा दर्ज होना मान लिया है जो पूर्ण रूप से रिकॉर्ड के विरूद्ध है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 29.12.2017 निरस्त फरमाया जावे ।

6. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गईं । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

7. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में प्रतिवादिनी के बयान नहीं हुए हैं वरन् उनके मुख्तार आम के बयान हुए हैं यह बयान स्वीकार योग्य नहीं हैं क्योंकि सीपीसी के आदेश 03 नियम 1 व 2 के अनुसार पॉवर ऑफ अटॉर्नी धारक मालिक के लिए अथवा मालिक के स्थान पर सशपथ बयान नहीं दे सकता वो अपने व्यक्तिगत स्थति में ही बयान के लिए उपस्थित हो सकते हैं। प्रतिवादिनी ने वादी के खाते की आराजी पर कब्जा कर उस पर मलवा डलवा दिया है जिसका उन्हें कोई विधिक अधिकार प्राप्त नहीं है । वादी ने अपने वाद को दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्यों से साबित किया है । अधीनस्थ न्यायालय ने वादी के द्वारा पेश किये गये साक्ष्यों पर गौर नहीं किया है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 29.12.2017 निरस्त फरमाया जावे । उन्होंने अपने कथन की पुष्टि में आरआरटी 2005 (1) पेज 485 उद्धरत की ।

8. रेस्पोडेन्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि पटवारी हल्का की रिपोर्ट पत्रावली में संलग्न है जिसके अनुसार दोनों की आराजी के मध्य पत्थर का कोटा बना हुआ है । प्रतिवादिनी ने अपने कुए का मलवा अपने खाते की आराजी में ही डाला है । वादी के खेत की आराजी खसरा नम्बर 82 में नहीं डाला है और न ही कब्जा किया है । वादी ने अपने दावे में इन्द्राज दुरूस्ती अथवा हक, घोषणा की सहायता नहीं मांगी है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय एवं डिक्री पारित की गई है उसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं की है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 29.12.2017 बहाल रखा जावे ।

9. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । वादी अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

के अन्तर्गत धारा 188 एवं 183 का पेश किया है और उन्होंने नकल जमाबन्दी संवत् 2060 से 2063 प्रदर्श– 1 पेश की है जिसके अनुसार नया खाता संख्या 50 की कुल 02 किता की 4.26 हैक्टर आराजी भंवर सिंह वल्द नाथूसिंह के नाम खातेदारी में दर्ज है । नकल मिलान क्षेत्रफल संवत् 2038 से 2057 प्रदर्श– 2 पेश किया है जिसके अनुसार हाल खसरा नम्बर 82 साबिक खसरा नम्बर 48 मिन से बना है साबिक खसरा नम्बर का रकबा अंकित नहीं है । नकल नक्शा ट्रेस प्रदर्श– 3 पेश किया है जिसके अनुसार खसरा नम्बर 82 एवं खसरा नम्बर 72 लगवा हैं । नकल जमाबन्दी सवंत् 2033 से 2036 प्रदर्श– 4 पेश किया है जिसके अनुसार नया खाता संख्या 41 की कुल 02 किता की 18 बीघा 12 बिस्वा भूमि वादी के खाते में दर्ज है जिसमें साबिक खसरा नम्बर 48/223 की 05 बीघा भूमि शामिल है । नकल जमाबन्दी संवत् 2033 से 2036 प्रदर्श– 5 के अनुसार नया खाता संख्या 39 की साबिक खसरा नम्बर 40 की रकबा 17 बीघा 05 बिस्वा भूमि बाबूराम वल्द दयाराम के खातेदारी में दर्ज है । नकल जमाबन्दी संवत् 2060 से 2063 प्रदर्श–6 पेश किया है जिसके अनुसार नया खाता संख्या 8 की कुल 09 किता की 2.89 हैक्टर आराजी कौशल्या देवी पुत्री बाबूराम के नाम खातेदारी में दर्ज है जिसमें खसरा नम्बर 77 की रकबा 0.09 हैक्टर शामिल है । नकल नक्शा ट्रेस प्रदर्श– 7, 8 एवं 9 पेश किया है । इसके अलावा पत्रावली में मौका रिपोर्ट दिनांक 27.11.2009 अंकित है । नकल खसरा गिरदावरी संवत् 2064 से 2067 प्रदर्श– 10 है । नकल जमाबन्दी संवत् 2064 से 2067 प्रदर्श– 11, खसरा गिरदावरी संवत् 2064 से 2067 प्रदर्श– 12, नकल जमाबन्दी संवत् 2064 से 2067 प्रदर्श– 13, रिपोर्ट पटवारी दिनांक 24.11.2015 संलग्न है ।

10. बयान वादी भंवर सिंह प्रतिवादी की ओर से रविन्द्र मोहन मुख्तार श्रीमती कौशल्या देवी, रामप्रसाद के कराये गये हैं । बयानों पी.डब्ल्यू एंव डी.डब्ल्यू. नम्बर अंकित नहीं किये हैं इसके अलावा कुछ दस्तावेज पेश किये गये हैं जिनमें प्रदर्श नहीं डाला गया है । इनमें नजरी नक्शे की प्रमाणित नकल जमाबन्दी भू–प्रबन्ध विभाग संवत् 2038 से 2057, फोटो प्रति जमाबन्दी संवत् 2072 से 2075 व नया 67, 88, 99 व 39, भू–प्रबन्ध विभाग के मिलान क्षेत्रफल की प्रमाणित प्रति संवत् 2038 से 2057 नकल जमाबन्दी संवत् 2029 से 2032 व असल प्रपत्र 7 बाबत् ऋण पेश किये हैं ।

11. वादी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में दावा अन्तर्गत धारा 188 एवं 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का पेश किया गया है जिसमें उनके द्वारा यह कथन किया है कि आराजी खसरा नम्बर 82 के 10 बिस्वा आराजी पर प्रतिवादी द्वारा कुए की मिट्टी एवं पत्थर डाल कर कब्जा कर रखा है जिसे बेदखल कर कब्जा दिलाया जावे । वादी ने हक घोषणा की सहायता नहीं मांगी है और दौराने बहस उनके अभिभाषक ने यह भी कथन किया है कि वादी वादग्रस्त आराजी से प्रतिवादी को बेदखल कर कब्जा प्राप्त करना चाहता है । वादी ने अपने दावे की मद संख्या 05 में यह अंकित किया है कि इस मलवे वाली 10 बिस्वा आराजी को प्रतिवादी ने सेटलमेंट से अपने नाम दर्ज करवा लिया है परन्तु इस आराजी के बाबत् उन्होंने हक, घोषणा की प्रार्थना नहीं की है । जहॉ तक सेटलमेंट द्वारा आराजी को कम किये जाने का प्रश्न है वादी के खाते में सेटलमेंट से पूर्व 02 किता की 18 बीघा 12 बिस्वा आराजी है और बाद सेटलमेंट कुल 02 किता की 4.26 हैक्टर भूमि उनके खाते दर्ज की गई है । इस प्रकार उनकी अराजी कम नहीं हुई है ।

12. वादी ने अपने दावे में जो सहायता चाही है वो यह है कि हाल खसरा नम्बर 82 की 10 बिस्वा आराजी से रेस्पोडेन्ट प्रतिवादी को बेदखल कर कब्जा संभलाया जावे परन्तु पत्रावली में जो दोनों रिपोर्ट पटवारी संलग्न हैं उनके अनुसार हाल खसरा नम्बर 77 की 0.09 हैक्टर गै0 मु0 चाह में प्रतिवादी का कुआ और शेष रकबे पर मिट्टी का मलवा डला हुआ होना अंकित है ।

रिपोर्ट में यह भी अंकित है कि खसरा नम्बर 77 और 82 के मध्य कच्ची पत्थर की कोट है । पत्थर वादी के हैं । खसरा नम्बर 77 में वादी का पुराना कुआ है यद्यपि इस रिपोर्ट में यह भी अंकित किया गया है कि हाल खसरा नम्बर 77 के साबिक खसरा नम्बर 48/223 की आराजी आती है । पूर्व में प्रेषित रिपोर्ट दिनांक 25.11.2009 में भी यही अंकित है कि हाल खसरा नम्बर 77 में पुराने खसरा नम्बर 48/223 की आराजी शामिल है, परन्तु वादी ने दावा हक, घोषणा एवं इन्द्राज दुरूस्ती का नहीं किया है और न ही हाल खसरा नम्बर 77 में 10 बिस्वा आराजी अपने खाते दर्ज करने की प्रार्थना की है । ऐसी स्थिति में उन्हें हक, घोषणा एवं इन्द्राज दुरूस्ती की सहायता नहीं दी जा सकती । उनके द्वारा आराजी खसरा नम्बर 82 के बाबत् बेदखली की सहायता मांगी है और पत्रावली में संलग्न रिपोर्ट के अनुसार आराजी खसरा नम्बर 77 एवं खसरा नम्बर 82 के मध्य पत्थर का कोट है और मिट्टी/मलवा भी आराजी खसरा नम्बर 77 में ही डाला गया है। यदि वादी अपीलान्ट ऐसा मानता है कि उनके खाते की आराजी खसरा नम्बर 48/223 का कुछ रकबा खसरा नम्बर 77 में शामिल हो गया है तो उन्हें हक, घोषणा एवं इन्द्राज दुरूस्ती का दावा पेश करना चाहिए था जो उनके द्वारा नहीं किया गया है । पत्रावली में जो दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य पेश की गई है उसके अनुसार हाल खसरा नम्बर 82 पर प्रतिवादी का अतिक्रमण सिद्ध नहीं पाया गया है । जहॉ तक प्रतिवादी की ओर से पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर के बयान दिये जाने का प्रश्न है, वादी को अपना दावा स्वयं सिद्ध करना हाता है । ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय ने दावा वादी खारिज करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है । हम अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एंव डिक्री में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझते हैं ।

13. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 29.12.2017 बहाल रखा जाता है ।

14. निर्णय आज दिनांक 08.10.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

8/10/18

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा